क्रम-संख्या–189(ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 नवम्बर, 2025

कार्तिक 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

———————

संख्या 101 / 2025 / 1346 / छप्पन–2025–01-2016
लखनऊ, 21 नवम्बर, 2025

प0आ0–192

सामाजिक समाघात निर्धारण के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में, ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के परामर्श से निम्नलिखित भूमियां लोकप्रयोजनार्थ अर्जित करना चाहती है और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित करना चाहती है। अध्ययन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 4 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

- **अपेक्षक निकाय का नाम**–नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का प्रयोजन**–धनीपुर विमानपट्टी, अलीगढ़ का विस्तारीकरण।
- **अध्ययनकर्ता संगठन**–गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- **संगठन का संपर्क सम्बन्धी विवरण**–गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (201312)।
- **भूमि का विवरण**–

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
अलीगढ़	कोल	अलहदादपुर	14.0546
		ईकरी	1.5776
		खानगढ़ी	14.8313

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
		निजामतपुर बोरना	16.7849
अलीगढ़	कोल	पनैटी	3.1213
		पिखलौनी	0.6540
		कुल	**51.0237**

- **प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रसुविधा तथा संक्षिप्त विवरण**–धनीपुर विमानपट्टी, अलीगढ़ के विस्तारीकरण से दूरगामी क्षेत्र में हवाई यातायात सुलभ होगा जो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।
- **परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल**–जिला अलीगढ़ की तहसील कोल के ऊपर उल्लिखित 06 ग्राम तथा अनुमानित 51.0237 हेक्टेयर भूमि ।
- **क्या ग्राम सभाओं और/अथवा भू–स्वामियों की सहमति अपेक्षित है?**–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 के उपबन्धों के अनुसार।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण (एस0आई0ए0) पूर्ण होने का दिनांक**–25 जनवरी, 2026

टिप्पणी–विवरण, समस्त कार्य दिवसों में (अर्जन के प्रयोजन हेतु) कलक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 101/2025/1346/LVI-2025-01-2016, dated November 21, 2025.

No. 101/2025/1346/LVI-2025-01-2016

Dated Lucknow, *November* 21, 2025

PRELIMINARY NOTIFICATION TO CARRY OUT SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat/Municipality/Municipal Corporation, as the case may be, at village/ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall be undertaken as per the provisions of Section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013).

- **Name of Requiring body-**Civil Aviation Department, Uttar Pradesh.
- **Purpose of proposed acquisition of land-**For expansion of Dhanipur Airstrip, Aligarh.
- **Organization to undertake the study-**Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

- **Contact details of the Organization-**Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar (201312).

- Land details-

District	Tehsil	Village	Area to be acquired (in Hectares)
1	2	3	4
Aligarh	Koil	Alhadadpur	14.0546
		Ikari	1.5776
		Khangarhi	14.8313
		Nijamatpur Borna	16.7849
		Panaiti	3.1213
		Pikhlouni	0.6540
		Total	**51.0237**

- **Benefits of the proposed project and Brief description-**The expansion of Dhanipur Airstrip in Aligarh will facilitate air traffic in remote area which will provide new employment opportunities.
- **The project area and the affected areas-**Above mentioned 06 villages of Tehsil Koil, District Aligarh and approximate 51.0237 Hectares Land.
- **Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?-**According to the provisions of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Uttar Pradesh) Rules, 2016.
- **The date of completion of SIA-**January 25, 2026

NOTE- The details can be had from the office of Collector (for the purpose of acquisition) in all working days.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 250 राजपत्र–2025–(763)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 नागरिक उडड्यन–2025–(764)–100 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।